



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस विज्ञप्ति

विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित में कुल 03 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक-27.03.2024

दिनांक 26/27.03.2024 को थाना पीजीआई 03 अभियुक्त गिरफ्तार। इस प्रकार वांछित में कुल 03 अभियुक्त गिरफ्तार।

भा0द0वि0

थाना कृष्णानगर—दिनांक 27.03.2024 को थाना कृष्णानगर द्वारा बताया गया कि वादी श्री सुधीर कुमार पुत्र श्री स्व0 श्याम लाल निवासी-554ख/282 अम्बेडकर नगर थाना आलमबाग लखनऊ ने थाना कृष्णानगर पर सूचना दिया कि दिनांक 25/26.03.2024 को समय करीब 01.45 बजे वादी के घर के बगल में रहने वाले अनूप कुमार उर्फ अन्नू पुत्र स्व0 जंग बहादुर एवं विलन उर्फ दिनेश पुत्र नन्हा वादी के घर के सामने शराब पी रहे थे और गन्दी-गन्दी गालियां दे रहे थे। इसके पहले भी उक्त लोग वादी को जान से मारने की धमकी देते रहे थे। वादी द्वारा उक्त लोगों से ऐसा करने से मना करने पर भी वह लोग नहीं माने, इसके उपरान्त विलन उर्फ दिनेश के द्वारा उकसाने पर अनूप उर्फ अन्नू ने वादी को जान से मारने की नियत से वादी के ऊपर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिससे वादी के सिर पर गम्भीर चोटें आयीं और वादी बेहोश हो गया। जिसके बाद वादी के परिजन व पड़ोस में रहने वाले लोग वादी को इलाज के लिए लोकबन्धु हॉस्पिटल ले गये। इस सूचना पर थाना कृष्णानगर पर मु0अ0सं0 122/2024 धारा 34/307/504/506 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

थाना गाजीपुर—दिनांक 27.03.2024 को थाना गाजीपुर द्वारा बताया गया कि डा0 राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल थाना विभूतिखण्ड से थाना स्थानीय पर एक मेमो इस आशय का भेजा गया कि दिनांक 26.03.2024 को समय करीब 16.40 बजे जगदीश प्रसाद पुत्र राम फेर तिवारी निवासी-एम 61 संजय गांधी पुरम फैंजाबाद रोड थाना गाजीपुर लखनऊ को इस चिकित्सालय में मृत अवस्था में लाया गया। इस सूचना पर एस0आई0 श्री नितिन कुमार मो0नं0 9540022272 थाना गाजीपुर द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। जिनके द्वारा बताया गया कि जगदीश प्रसाद तिवारी उपरोक्त पिछले करीब 01 वर्ष से गंभीर बीमारी से पीड़ित थे जिससे वे काफी अवसाद में रहते थे। बीमारी से परेशान होकर दिनांक 26.03.2024 को समय करीब 02.30 बजे दोपहर में जगदीश प्रसाद तिवारी ने अपने उक्त घर में बाथरूम में अपने दाहिने हाथ की नस काट लिया। परिजनों द्वारा उन्हें इलाज के लिए लोहिया हॉस्पिटल ले जाया गया जहां पर डाक्टरों ने जगदीश प्रसाद तिवारी उम्र करीब 76 वर्ष को मृत घोषित कर दिया। मृतक वर्ष 2008 में सचिवालय से अनुभाग अधिकारी के पद से रिटायर्ड हुये थे। मृतक के 03 पुत्र हैं।

थाना ठाकुरगंज—दिनांक 27.03.2024 को थाना ठाकुरगंज द्वारा बताया गया कि श्री सुनील कुमार पुत्र स्व० सुन्दर लाल चौरसिया निवासी—ए/बी 457 ब्राह्मणी टोला दौलतगंज थाना ठाकुरगंज जनपद लखनऊ ने थाना ठाकुरगंज पर सूचना दिया कि उसके होटल में काम करने वाले राघवेन्द्र सिंह उम्र करीब 28 वर्ष पुत्र श्री उमेश सिंह निवासी—आशापुर पोस्ट कल्याणमल थाना बेनीगंज जनपद हरदोई ने बीती रात्रि में अपने किराये के कमरे की छत में लगे लोहे के कुण्डे से केबिल के तार का फंदा बनाकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया है। राघवेन्द्र सिंह उपरोक्त उसके भाई संतोष चौरसिया के उक्त पते के मकान में किराये पर रहता था। **इस सूचना पर एस०आई० श्री अभिषेक कुमार पाण्डेय मो०नं० 8171305550 द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।** जिनके द्वारा बताया गया कि मृतक अविवाहित था।

थाना पारा—दिनांक 27.03.2024 को थाना पारा द्वारा बताया गया कि अमन कुमार पुत्र श्री मुन्ना साहू निवासी—664 डूडा कालोनी नरपत खेड़ा जनपद लखनऊ ने थाना पारा पर सूचना दिया कि दिनांक 25.03.2024 को संजय शर्मा व विकास शर्मा, राहुल शर्मा व अन्य 03 से 04 अज्ञात लोगों ने एकराय होकर वादी के घर के अन्दर घुसकर जान से मारने की धमकी देते हुए गाली गलौज करने लगे जब वादी के माता—पिता ने विरोध किया तो संजय, राहुल, विकास व उनके साथ में आये अन्य लोगों ने लाठी—डण्डों से हमला कर दिया, जिससे वादी के माता—पिता के सिर में गम्भीर चोटें आयीं व वादी के माता—पिता दोनों बेहोश होकर वहीं पर गिर पड़े, जिन्हें 108 एंबुलेंस की सहायता मदद से केजीएमयू ट्रामा सेंटर में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। वादी के पिता मुन्ना साहू को अभी तक होश नहीं आया है। **इस सूचना पर थाना पारा पर मु०अ०सं० 161/2024 धारा 147/323/504/506/452/308 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।** थाना प्रभारी निरीक्षक द्वारा बताया गया कि मारपीट में घायल मुन्ना साहू उम्र करीब 46 वर्ष उपरोक्त की ट्रामा सेंटर में दौराने इलाज आज दिनांक 27.03.2024 को समय करीब सुबह 08.00 बजे मृत्यु हो गयी है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है।